

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3799/2026

Akram Khan S/o Abdul Sakur, Aged About 21 Years, R/o Tilwad,
Police Station Govindgarh, District Alwar, Raj. (At Present
Confined In District Jail Alwar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Its Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Khan with Mr. Abdul Jamil Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

15/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत पुलिस थाना— गोविन्दगढ़ (अलवर), जिला— अलवर में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या— 61/2026 अपराध अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में साईबर ठगी करने के उपरांत कोई राशि जमा हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में यह आरोप है कि उसके द्वारा पैन-पैसिल का एक फर्जी विज्ञापन दिया दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त का

पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो संलग्न पत्रावली रहे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अकरम खान पुत्र अब्दुल सकूर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J